

प्रेस विज्ञप्ति

थाना सिधारी

एक अदद तमन्चा 315 बोर अवैध व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 14.6.2022 को उ0नि0 कमल नयन दूबे मय हमराह हे0का0 सत्येन्द्र नारायण सिंह , हे0का0 अनिल कुमार पाठक , का0 अशोक कुमार के द्वारा चेकिंग के दौरान मुसेपुर रेलवे क्रासिंग के पास ब्रेकर पर एक वेन्यू कार सफेद रंग की हुसैनगंज की तरफ से आती दिखाई दी जैसे ही वह कार क्रासिंग पार की तभी पुलिस टीम द्वारा सड़क पर उसे रोकने का प्रयास किया लेकिन गाड़ी चला रहा व्यक्ति ने कार की स्पीड बढ़ाकर भागने का प्रयास किया कि बैरियर लगा होने के कारण पुलिस बल द्वारा घेर घार कर वाहन वेन्यू को रोक लिया गया । वाहन चालक को बाहर निकालकर नाम पता पूछते हुवे उसकी जामातलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम अंगद यादव S/O रामअवध यादव निवासी ग्राम गजडहा पो0 सठियांव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष बताया । जामातलाशी में उसके पास से एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ वाहन वेन्यू के कागजात माँगे जाने पर दिखाने से कासिर रहा जिस पर वाहन संख्या UP 50 CE 3150 को चालान ऐप के माध्यम से सीज किया गया ।

नाम पता अभियुक्त

अंगद यादव S/O रामअवध यादव निवासी ग्राम गजडहा पो0 सठियांव थाना मुबारकपुर
जनपद आजमगढ़

बरामदगी

एक अदद तमन्चा 315 बोर अवैध व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0स0 245/22 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

1. मु245 0स0अ0/3 धारा 22/शस्त्र अधिनियम 25 थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

2. मु.स.अ.212/2018 धारा भादवि 420थाना रौनापार आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 कमल नयन दूबे चौकी प्रभारी मुसेपुर थाना सिधारी आजमगढ़
2. हे0का0 सत्येन्द्र नारायण सिंह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
3. हे0का0 अनिल कुमार पाठक थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
4. का0 अशोक कुमार थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

थाना अतरौलिया

दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 01.06.2022 को अभियुक्त अरविन्द सोनकर पुत्र अशोक सोनकर निवासी ईश्वरपुर पवनी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी की नाबालिक पुत्री उम्र 15 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले जाना तथा वादिनी के पूछने पर प्रतिवादी के पिता अशोक सोनकर पुत्र बहादुर सोनकर द्वारा गाली गलौज करना।

जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 196/22 धारा 363/504IPC थाना अतरौलिया जिला आजमगढ़ बनाम 1. अरविन्द सोनकर पुत्र अशोक सोनकर 2. अशोक सोनकर पुत्र बहादुर सोनकर निवासीगण ईश्वरपुर पवनी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उपरोक्त के पंजीकृत किया गया था। बाद बरामदगी और बयान पीड़िता के धारा 376 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

आज दिनांक 14.06.22 को उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द मय हमराह का0 हरिभान सिंह व महिला आरक्षी दीपिका तिवारी के द्वारा कृष्ण मन्दिर एकडंगी के पीछे पोखरे पर अरविन्द सोनकर पुत्र अशोक सोनकर निवासी ईश्वरपुर पवनी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को समय 09.15 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्ययालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 196/22 धारा 363/504/376 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना अतरौलिया आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अरविन्द सोनकर पुत्र अशोक सोनकर निवासी ईश्वरपुर पवनी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. उ0नि0 लाल बहादुर विन्द
2. का0 हरिभान सिंह
3. म0का0 दीपिका तिवारी

थाना देवगांव

जानलेवा हमले में वांछित अभियुक्त/ अभियुक्ता गिरफ्तार

आवेदक कैलाश नाथ पुत्र हरिलाल ग्राम-करियागोपालपुर थाना-देवगाँव जिला-आजमगढ़ के द्वारा थाने पर लिखित तहरीर दिया गया जिसमें वादी के भाई लालचन्द्र पुत्र हरिलाल को घर से प्रतिवादीगणों द्वारा अपने घर ले जाकर धारदार हथियार से वादी के भाई के गले पर वार करना तथा हाथ में चोट आ जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 194/2022 धारा 307/34 भादवि पंजीकृत कराया किया गया है ।

दिनांक 14.06.2022 को प्र०नि० शशि मौलि पाण्डेय के नेतृत्व में व०उ०नि० तारकेश्वर राय मय हमराह द्वारा मु०अ०स० 194/2022 धारा 307/34 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त 1- प्रमोद कुमार पुत्र रजई व अभियुक्ता 2- निर्मला पत्नी प्रमोद कुमार निवासीगण करियागोपालपुर थाना देवगाँव आजमगढ़ को कंजहित बाजार से समय करीब 07.35 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

अभियोग पंजीकृत –

मु०अ०स० 194/2022 धारा 307/34 भा०द०वि०

गिरफ्तार शुदा व्यक्ति का नाम पता—

- 1- प्रमोद कुमार पुत्र रजई
- 2- निर्मला पत्नी प्रमोद कुमार निवासीगण करियागोपालपुर थाना देवगाँव आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम –

- (1) व तारकेश्वर राय थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ 0नि०उ०
- (2) काअखिलेश गौड़ थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ 0
- (3) म आरती शुक्ला थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ 0आ०

थाना जीयनपुर

एक अदद अबैध तमन्चा .315 बोर व एक अदद कारतूस 315 बोर व 01 किलो 250 ग्राम नाजायज गाँजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 14/06/2022 को प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में व.उ.नि. प्रदीप कुमार राही मय हमराह द्वारा अभियुक्त रमेश यादव पुत्र स्व० मोहन यादव निवासी सुराई सठियाँव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को कस्बा जीयनपुर मुबारकपुर तिराहे के पास से समय करीब 4.50 बजे गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के पास से एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद कारतूस 315 बोर , तथा 1 किलो 250 ग्राम नाजायज गाँजा बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध में थानास्थानीय पर मु०अ०सं० 379/2022 धारा 8/20 N.D.P.S Act ,व मु०अ०सं० 380/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अ0सं0 379/2022 धारा 8/20 N.D.P.S Act थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 380/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 379/2022 धारा 8/20 N.D.P.S Act थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 380/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ।

3. मु0अ0सं0 210/2021 धारा 8/20 N.D.P.S Act थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी –

1. एक अदद तमंचा 315 बोर

2. एक अदद कारतूस 315 बोर

3. 1 किलो 250 ग्राम नाजायज गाँजा ।

गिरफ्तार अभियुक्त –

रमेश यादव पुत्र स्व0 मोहन यादव निवासी सुराई सठियाँव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. व.उ.नि. प्रदीप कुमार राही थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़ ।

2. का0 श्रेष्ठ यादव थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।

3. का0 राणवीर यादव थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़

रौनापार-आजमगढ़

वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्री प्रदीप उपाध्याय पुत्र रामकृपाल उपाध्याय सा गोठा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ 0के दि07 0.06. 22को थाना स्थानीय पर तहरीर दिया जिसमें वादी की बहन को उसके ससुराल वालो द्वारा प्रताड़ित करना तथा जहर देकर मार डालना व लाश को छिपाने हेतु नदी मे फेक देना। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु197 0सं0अ0//306 धारा 22201/498A भादवि वादी श्री प्रदीप उपाध्याय उपरोक्त बनाम 1. दीपक शुक्ला पुत्र परमहंस शुक्ला 2. परमहंस शुक्ला पुत्र मारकण्डेय शुक्ला 3. सत्यभामा शुक्ला पत्नी परमहंस शुक्ला 4. रोहित शुक्ला 5. सोनू शुक्ला पुत्रगण परमहंस शुक्ला निवासीगण देवारा इस्माइलपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 14.06. को 2022थानाध्यक्ष रौनापार के नेतृत्व मे खरैलिया ढाला से मु0197सं0अ0/ धारा 22 /306201/498A भादवि मे वांछित अभि01. रोहित शुक्ला पुत्र परमहंस शुक्ला निवासी देवारा इस्माइलपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को समय करीब 09.20 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु197 0सं0अ0/22 धारा /306201/498A भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता: -

रोहित शुक्ला पुत्र परमहंस शुक्ला निवासी देवारा इस्माइलपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष अखिलेश चन्द्र पाण्डेय थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

2. कारोशन भारती थाना रौनापार जनपद आजमगढ़0

3. का0मो0तबरेज थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

थाना तहबरपुर

प्राण घातक हमला करने वाले वाँछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- वादिनी मुकदमा श्रीमती मालती देवी पत्नी देवेन्द्र कुमार ग्राम नैपुरा, थाना तहबरपुर, आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर वावत प्रतिवादीगण द्वारा मामूली विवाद को लेकर वादिनी को ईंट पत्थर चलाते हुए मारना पीटना व गाली गलौज देते हुए लाठी डण्डा से मारना पीटना व घर में घुसकर वादिनी की पुत्रीयो पर प्राण घातक हमला करना तथा वादिनी के पति व पुत्र आदित्य को भी प्राण घातक हमला करना जिससे वादिनी का सिर फट जाना व आदित्य के हाथ की अंगुली में फ्रैक्चर आने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 98/22 धारा 34/308/323/325/452/504 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- प्रभारी निरीक्षक तहबरपुर के नेतृत्व मे आज दिनांक 14.06.2022 को उ0नि0 सुरेन्द्रनाथ मय हमराह के द्वारा उपरोक्त मुकदमा से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त अखिलेश कुमार पुत्र ध्यानराम व धर्मेन्द्र पुत्र सीताराम ग्राम नैपुरा, थाना तहबरपुर, आजमगढ़ को उनके घर ग्राम नैपुरा में दबिश देकर समय करीब 07.30 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 98/22 धारा 34/308/323/325/452/504 भादवि थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. अखिलेश कुमार पुत्र ध्यानराम
2. धर्मेन्द्र पुत्र सीताराम साकिन नैपुरा, थाना तहबरपुर, आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 सुरेन्द्रनाथ
2. हे0का0 तेजबहादुर यादव
3. का0 सर्वेश कुमार
4. रि0का0 रमेश कुमार
4. म0का0 रिंकी शर्मा